राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2215/2024

प्रहलाद मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति, दौसा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, दौसा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, दौसा।
6. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, दौसा।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, लवाण, दौसा।
8. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पीईईओ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रहलादपुरा, लवाण, दौसा।
9. अनिल गौड, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, लवाण दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.07.2024
आदेश की दिनांक : 24.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश लाम्बा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने इस अपील में आदेश दिनांक 02.07.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो अध्यापक के पद पर कार्यरत है, का स्थानान्तरण राउप्रावि, प्रहलादपुरा, लवाण, दौसा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को नियमानुसार मानदण्ड पुरा करने के आधार पर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन हेतु ब्लॉक साक्षरता समन्वक के रूप में आदेश दिनांक 22.12.2022 से लगाया गया था। तभी से अपीलार्थी

समन्वयक का कार्य कर रहा है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित किया गया है और अपीलार्थी को मूल पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया गया है, जो उचित नहीं है।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी अध्यापक के पद पर पदस्थापित है, जिसका मूल पदस्थापन स्थान अध्यापक, जीयूपीएस, प्रहलादपुरा, लवाण, दौसा है। अपीलार्थी को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के संचालन हेतु कार्य व्यवस्थार्थ समन्वयक नियुक्त किया गया था। वर्तमान आलोच्य आदेश से अपीलार्थी को पुनः उसके मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य करने के लिये कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी को समन्वयक का कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था, जो उनका मूल पदस्थापन स्थान नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी को मूल पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किये जाने के आदेश में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करे। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक वह निर्णय विधि विरूद्ध एवं दुर्भावनापूर्वक पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)